छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आदेश सुरक्षित रखा गया– 04.03.2021

आदेश पारित किया गया– 16.07.2021

रिट याचिका (227) कमांक 914/2015

सुनील तवारी, पिता श्री एस.एन. तवारी, उम्र लगभग 48 वर्ष, द्वारा मुख्तार– एस.एन. तिवारी, पिता स्व. जौहरमल तिवारी, उम्र लगभग 72 वर्ष, निवासी जल विहार कॉलोनी, तेलीबांधा, थाना सिविल लाईन रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

.... याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

01– जनक राम कुर्रे, पिता गन्नू कुर्रे, द्वारा मुख्तार भारत कुर्रे, पिता जनक राम कुर्रे, निवासी सतनामी पारा, सती 8, थाना तेलीबांधा, थाना सिविल लाईन रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

02– राजस्व मंडल बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

.... उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सी) कमांक 3179/2018

सुनील तवारी, पिता श्री एस.एन. तवारी, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी जल विहार कॉलोनी, तेलीबांधा, थाना सिविल लाईन रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा मुख्तार– एस.एन. तिवारी, पिता स्व. जौहरमल तिवारी, उम्र 78 वर्ष, निवासी पी–222 पार्थिवी पासिफीक, तेलीबांधा, थाना सिविल लाईन रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

.... याचिकाकर्ता

विरूद्ध

01— जनक राम कुर्रे, पिता गन्नू कुर्रे, द्वारा मुख्तार— भारत कुर्रे, पिता जनक राम कुर्रे, निवासी थाना तेलीबांधा, थाना सिविल लाईन रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

02— छ0ग0 राज्य द्वारा कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

.... उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका (227) कमांक 84 / 2017</u>

जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, पिता स्व. बृजभूषण अग्रवाल, उम्र 48 वर्ष, निवासी सर्वोदय अस्पताल के पास दुबे कॉलोनी मोवा, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

.... याचिकाकर्ता

विरूद्ध

01— छ0ग0 राज्य द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

02— कलेक्टर रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

03— तहसीलदार रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

04— ग्राम सेवा समिति, एक पंजीकृत समिति, द्वारा सचिव श्री अजय तिवारी पता— कचहरी चौक रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

.... उत्तरवादीगण

पैरवीकर्ता अधिवक्तागण

याचिकाकर्ता द्वारा (रि.या.(227) क्रमांक 914/2015 एवं रि.या.(सी) क्रमांक 3179/2018)	–	श्री राघवेन्द्र प्रधान, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक 01 द्वारा (रि.या.(227) क्रमांक 914/2015 एवं रि.या.(सी) क्रमांक 3179/2018)	–	श्री अमित शर्मा एवं श्री हिमांशु सोनी, अधिवक्ता।
याचिकाकर्ता द्वारा (रि.या.(227) क्रमांक 84/2017)	–	श्री मनोज परांजपे, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक 04 द्वारा (रि.या.(227) क्रमांक 84/2017)	–	श्री शिवकुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता।
उत्तरवादी क्रमांक 02 द्वारा (रि.या.(227) क्रमांक 61/2014)	–	श्री मनोज कुमार सिन्हा, अधिवक्ता।
उत्तरवादी द्वारा (रि.या.(227) क्रमांक 483/2020)	–	श्री भारत राजपूत, अधिवक्ता।
राज्य/उत्तरवादीगण– याचिकाकर्तागण द्वारा	–	श्री डी.पी. सिंह, उप शासकीय अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (227) कमांक 61/2014

छ0ग0 राज्य द्वारा कलेक्टर बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

.... याचिकाकर्ता

विरूद्ध

01— छ0ग0 राजस्व बोर्ड बिलासपुर द्वारा, रजिस्ट्रार बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

02— कैलाश सोनी, पिता स्व. श्री गेंदलाल सोनी, निवासी मंगला बिलासपुर जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

.... उत्तरवादीगण

एवं

रिट याचिका (227) कमांक 483/2020

01— छ0ग0 राज्य द्वारा सचिव छ0ग0 शासन राजस्व विभाग, महानदी भवन नया रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

(याचिकाकर्ता कमांक 01, विद्वान राजस्व मंडल के समक्ष पक्षकार नहीं था, लेकिन उसे वर्तमान याचिका में पक्षकार बनाया गया है, क्योंकि संबंधित विभाग के सचिव के माध्यम से ही राज्य सरकार को पक्षकार बनाना उचित प्रकिया है)

02— कलेक्टर, जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

.... याचिकाकर्तागण

विरूद्ध

अनिल कुमार, पिता स्व. तुलसी प्रसाद, पता रेल्वे स्टेशन के पास चांपा, तहसील चांपा, जिला जांजगीर चांपा (छत्तीसगढ़)

.... उत्तरवादी

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजेन्द्र चन्द्र सिंह सामंत

सी.ए.व्ही. आदेश

01— ये सभी याचिकाएं पुनरीक्षण अधिकारिता के तहत राजस्व बोर्ड के आदेशों को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई हैं।

02— प्रतिवादियों के द्वारा इस आधार पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गई हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत ये सभी याचिकाएं, डॉ. राम शरण लाल त्रिपाठी बनाम सी.जी. राज्य एआईआर 2016 सी.जी. 17 के प्रकरण में इस न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के अनुसार पोषणीय नहीं हैं। जिसमें इस न्यायालय की एकल पीठ ने माना है कि राजस्व मंडल एक सिविल न्यायालय नहीं है, बल्कि छ.ग. भूमि राजस्व संहिता, 1959 (जिसे एतस्मिन पश्चात "संहिता, 1959" के रूप में संदर्भित) के तहत स्थापित राजस्व प्राधिकरण है। इसलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार ये सभी याचिकाएं पोषणीय नहीं होंगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03— याचिकाकर्ता की ओर से डब्लू.पी.(227) क्रमांक 84/2017 में उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे ने कहा कि प्रतिवादी पक्ष द्वारा उठाई गई आपत्ति गलत है। डॉ. राम शरण लाल त्रिपाठी (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में विद्वान न्यायाधीश का ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के

तहत ये याचिका बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगी।

04— उनके द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर न्यायिक अधीक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 में यह प्रावधान उपबंधित है कि जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय, प्रावधान में उल्लेखित विषयों के संबंध में उच्च न्यायालय के नियंत्रण में होंगे। हालाँकि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य में कार्यरत न्यायाधिकरण उच्च न्यायालय के न्यायिक अधीक्षण के अधीन होंगे, भले ही वे उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण में न हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

05— उनके द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि राजस्व बोर्ड भी एक न्यायालय है। संहिता, 1959 की धारा 3 राजस्व बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है और संहिता, 1959 की धारा 31 राजस्व बोर्ड और राजस्व अधिकारियों को न्यायालय का दर्जा प्रदान करती है। ये प्रावधान यह उपबंधित करता है कि बोर्ड या राजस्व अधिकारी इस संहिता या किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच या किसी कार्यवाही के पक्षकारों के बीच निर्धारण के लिए उठने वाले किसी भी प्रश्न की जांच या निर्णय करने के लिए राजस्व न्यायालय होंगे।

06– यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि डंगलिया एवं अन्य बनाम देशराज एवं अन्य (1973 एम.पी.एल.जे.–796) के प्रकरण में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि राजस्व न्यायालय पूर्ण रूप से सक्षम न्यायालय हैं, जो संहिता, 1959 के विशेष प्रावधान द्वारा शासित होते हैं और ऐसे प्रावधानों की अनुपस्थिति में, वे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा शासित होते है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि एस.के. सरकार बनाम विनय चंद्र मिश्रा (एआईआर 1981 एससी 723)के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार है और राजस्व बोर्ड, न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 10 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधीन होकर एक अधीनस्थ न्यायालय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07– उक्त के अतिरिक्त ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा बनाम सीतामढ़ी सेंट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एवं अन्य (1967 एआईआर 1494) , उमाजी केशाओ मेश्राम एवं अन्य बनाम राधिकाबाई, (एआईआर 1986 एससी 1272), सुशीलाबाई लक्ष्मीनारायण मुदलियार एवं अन्य बनाम निहालचंद वाघजीभाई शाह एवं अन्य (1993) सप. (1) एससीसी 11, मनोज कुमार बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं अन्य 2008 में रिपोर्ट (1) एमपीएलजे 152 के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय, अशोक के झा एवं अन्य बनाम गार्डन सिल्क मिल्स एवं अन्य (2009) 10 एससी 584 में सर्वोच्च

न्यायालय के निर्णय, ओम प्रकाश बनाम सुरजन सिंह2004 आर.एन. 31, राधे श्याम एवं अन्य बनाम छवि नाथ एवं अन्य (2015) 5 एससीसी 423 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय में तथा उन्हीं पक्षों के बीच 2009 (5) एससीसी 616 में रिपोर्ट किए गए निर्णय पर विश्वास दर्शाया है।

08— यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि ऊपर उल्लेखित न्यायिक निर्णयों के मद्देनजर, राजस्व बोर्ड के पास न्यायालय के समान अधिकार हैं और न्यायालय होने के नाते, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की न्यायिक अधीक्षण के अधीन है। इसलिए, यह याचिका और अन्य सभी संबंधित याचिकाएं पोषणीय होने से विचार किये जाने योग्य हैं।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

09— डब्ल्यू.पी.(227) क्रमांक 914/2015 और डब्ल्यू.पी.(सी) क्रमांक 3179/2018 में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेंद्र प्रधान के द्वारा, श्री परांजपे द्वारा प्रस्तुत तर्क को अपनाते हुये यह कहा गया है कि राजस्व बोर्ड उच्च न्यायालय के न्यायिक अधीक्षण के तहत एक न्यायालय है, इसलिए, संहिता, 1959 के प्रावधानों के तहत पारित राजस्व बोर्ड के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती देने योग्य है।

10— डब्ल्यू.पी. (227) क्रमांक 483/2020 और डब्ल्यू.पी. (227) क्रमांक 61/2014 में उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि भारतीय संविधान

के अनुच्छेद 227 के तहत ये याचिकाएं राज्य द्वारा ही लाई गई हैं, इसलिए, दोनों मामलों में याचिकाकर्ता–राज्य उठाई गई आपत्ति से सहमत हैं। इसलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका कायम रखने योग्य नहीं है। विवादित आदेश को चुनौती देने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने की आवश्यकता है।

11– डब्ल्यू.पी.(227) कमांक 914/2015, डब्ल्यू.पी.(सी) कमांक 3179/2018 और डब्ल्यू.पी.(227) कमांक 84/2017 में प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया कि डॉ. राम शरण लाल त्रिपाठी (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के न्यायिक निष्कर्ष के आधार पर उठाई गई आपत्ति संधारणीय है। उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि मणि नरीमन दारूवाला उर्फ भरूचा (मृतक) द्वारा विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य बनाम फिरोज एन. भटेना एवं अन्य, (1991) 3 एससीसी 141 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माना गया है कि उच्च न्यायालय के पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, खिमजी विधु बनाम प्रीमियर हाई स्कूल (1999) 9 एससीसी 264 के मामले में भी यह माना गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का संयम से प्रयोग किया जाना चाहिए और अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन तथ्यों के शुद्ध निष्कर्षों को विक्षुब्ध करने के लिए नहीं, यह केवल अपीलीय न्यायालय के अधिकार

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

क्षेत्र में आता है।

12— यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने डब्ल्यू.पी.(227) कमांक 914/2015, डब्ल्यू.पी.(227) कमांक 84/2017 और डब्ल्यू.पी.(सी) कमांक 3179/2018 में मामले में मौजूद तथ्यों के आधार पर विवादित आदेश को चुनौती दी है और इसलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय को इन याचिकाकर्ताओं द्वारा वांछित विवादित आदेशों पर विचार करने का अधिकार नहीं है। इसलिए, उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार किया जाए तथा इन मामलों में याचिकाकर्ताओं के साथ डब्ल्यू.पी.(227) कमांक 61/2014 और डब्ल्यू.पी.(227) 483/2020 के अन्य याचिकाकर्ताओं को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुतोष मांगने का निर्देश दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13— मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का तर्क श्रवण किया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

14— डॉ राम शरण लाल त्रिपाठी (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश के द्वारा शालिनी श्याम शेट्टी और अन्य बनाम राजेंद्र शंकर पाटिल (2010) 8 एससीसी 329, हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक और अन्य, एआईआर 1955 एससी 233, निष्क्रांत संपत्ति के संरक्षक, बैंगलोर (सभी अपीलों में) बनाम खान साहेब अब्दुल शुकूर आदि, एआईआर 1961 एससी 1087, टी.सी.

बसप्पा बनाम टी. नागप्पा और अन्य, एआईआर 1954 एससी 440, सैयद याकूब बनाम के.एस. राधाकृष्णन, एआईआर 1964 एससी 477, नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य श्याम सुंदर झुनझुनवाला एवं अन्य, एआईआर 1961 एससी 1669, मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ, (2010) 11 एससीसी 1, राधेश्याम एवं अन्य बनाम छवि नाथ एवं अन्य (2015) 5 एससीसी 423, रिजु प्रसाद शर्मा एवं अन्य बनाम असम राज्य एवं अन्य, (2015) 9 एससीसी 461 के प्रकरणों में विचार प्रकट करते हुए पैराग्राफ क्रमांक 18 और 19 में अभिनिर्धारित किया गया है कि–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"18. उपर्युक्त निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधिक स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आएगा कि यद्यपि राज्य द्वारा अपने संप्रभु कार्य और कर्तव्य के तहत स्थापित सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट जारी नहीं की जा सकती, ऐसी रिट अन्य सभी प्राधिकरणों या न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है जो न्यायिक या अर्ध न्यायिक या प्रशासनिक कार्य करते हैं।

19. चूँकि निःसंदेह राजस्व मंडल एक सिविल न्यायालय नहीं है, बल्कि यह छ.ग. भूमि राजस्व संहिता के तहत स्थापित एक राजस्व प्राधिकरण है, इसलिए राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश को शून्य घोषित करने के लिए उत्प्रेषण याचिका जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका पोषणीय है। इस प्रकार, कार्यालय की यह

आपत्ति कि याचिकाकर्ता को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए थी, खारिज कर दी जाती है।''

15— मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने डांगलिया एवं अन्य बनाम देशराज एवं अन्य (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में पैरा 7—8 में सुसंगत निष्कर्ष दिया है, जो इस प्रकार है—

''7. इस संबंध में यह ध्यान देने योग्य है कि मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 एक ऐसा कानून है जो व्यक्तियों को कुछ श्रेणियों के कुछ अधिकार प्रदान करता है और साथ ही राजस्व न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी निर्धारित करता है। यह 1 अक्टूबर, 1959 से लागू हुआ और इसने सभी क्षेत्रीय कानूनों को निरस्त कर दिया। इसलिए, राजस्व न्यायालयों को शक्तियाँ प्रदान करने वाले इस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक हो सकता है। मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 31 राजस्व मंडल और राजस्व अधिकारियों को न्यायालयों का दर्जा प्रदान करती है। इसमें यह प्रावधान है कि बोर्ड या राजस्व अधिकारी, राज्य सरकार और किसी व्यक्ति के बीच या किसी कार्यवाही के पक्षकारों के बीच निर्धारण के लिए उठने वाले किसी प्रश्न की जांच करने या निर्णय लेने के लिए इस संहिता या किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समय राजस्व न्यायालय होंगे। निर्णय लेने के लिए इस संहिता या किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय राजस्व न्यायालय होगा। संहिता की धारा 32 में यह प्रावधान है कि इस संहिता में कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा जो राजस्व न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करे, जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक आदेश दे सके। संहिता की धारा 33 में यह कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 132 और 133 के प्रावधानों और धारा 41 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन, राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करने वाले प्रत्येक राजस्व अधिकारी को साक्ष्य लेने, किसी भी व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी, जिसकी उपस्थिति वह आवश्यक समझता है, या तो एक पक्ष के रूप में जांच करने के लिए या एक गवाह के रूप में साक्ष्य देने के लिए या इस संहिता या किसी अन्य अधिनियम के तहत उत्पन्न होने वाली किसी भी जांच या मामले के प्रयोजनों के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए। संहिता की धारा 43 में यह भी प्रावधान है कि जब तक इस संहिता में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान न किया गया हो, इस संहिता के अंतर्गत सभी कार्यवाहियों में, जहां तक संभव हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इसके अलावा, हम संहिता की धारा 55 पर भी गौर कर सकते हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संदेह से बचने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस संहिता में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, इस अध्याय के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू होंगे–

(क) इस संहिता के लागू होने की तारीख से पूर्व किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित सभी आदेश और जिनके विरुद्ध ऐसी तारीख से पूर्व कोई अपील या पुनरीक्षण कार्यवाही लंबित नहीं है और,

(ख) राजस्व अधिकारियों के समक्ष सभी कार्यवाहियां, भले ही वे इस संहिता के लागू होने से पहले संस्थित या प्रारंभ की गई हों या उनसे उत्पन्न हुई हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. इस प्रकार, उक्त प्रावधान न केवल राजस्व अधिकारियों को पूर्ण विकसित एवं सक्षम न्यायालय बनाते हैं, जो कि मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 के विशेष प्रावधानों द्वारा शासित होंगे, तथा ऐसे प्रावधानों के अभाव में, यदि वे पूर्व के साथ संघर्ष में नहीं आते हैं, तो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा शासित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उक्त संहिता के लागू होने की तिथि अर्थात् 1–10–1959 से, उक्त संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को संहिता की धारा 55 के आधार पर किसी भी प्रकार की सभी राजस्व कार्यवाहियों पर लागू कर दिया गया है, यद्यपि ऐसी कार्यवाहियां संहिता के लागू होने से पूर्व राजस्व अधिकारियों द्वारा किसी भी निरस्त क्षेत्रीय अधिनियम के तहत आरंभ की गई हों या उन कार्यवाहियों में आदेश पारित किए गए हों। इस

प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि 1–10–1959 से केवल मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 ही लागू होगी तथा किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी निरस्त अधिनियम का सहारा नहीं लिया जा सकेगा।''

16– एस.के.सरकार बनाम विनय चंद्र मिश्रा (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 15 में यह माना है कि–

''15. अधिनियम की धारा 2 (सी) में ''आपराधिक अवमानना'' को परिभाषित किया गया है।''

धारा 9 इस बात पर जोर देती है कि ''इस अधिनियम में निहित किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि कोई अवज्ञा, उल्लंघन, प्रकाशन या अन्य कार्य न्यायालय की अवमानना के रूप में दंडनीय है, जो इस अधिनियम के अलावा दंडनीय नहीं होगा।

धारा 10 इस प्रकार है–

''प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे और वह उसी प्रक्रिया और व्यवहार के अनुसार उनका प्रयोग करेगा जैसा कि वह स्वयं की अवमानना के संबंध में रखता है और उनका प्रयोग करता है।''

फिर, एक प्रावधान है जो हमारे उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। धारा 10 में प्रावधान 1952 के अधिनियम की धारा 3 की प्रतिकृति मात्र है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

धारा 10 में प्रयुक्त ''इसके अधीनस्थ न्यायालय'' वाक्यांश इतना व्यापक है कि इसमें वे सभी न्यायालय शामिल हैं जो न्यायिक रूप से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, भले ही संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत उन पर प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित न हो। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को उन सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है, जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इसलिए, वर्तमान मामले में राजस्व बोर्ड का न्यायालय अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत ''उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17– ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा बनाम के मामले में। सीतामढी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा–22 में निष्कर्ष दिया है, जो इस प्रकार है–

''22. संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले क्षेत्राधिकार की प्रकृति पर पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने बुद्धि नाथ झा बनाम मणिलाल जादव, एआईआर 1960 पैट 361 (एफबी) में विस्तार से चर्चा की थी। वहां यह देखा गया था कि ''यह भी स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई पुनरीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय की अपीलीय शक्ति के समान प्रकृति की है, हालांकि अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति विभिन्न

सीमाओं से घिरी हुई है। ये सीमाएं संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दी गई शक्ति की अंतर्निहित गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती हैं, जो अपीलीय शक्ति के समान है।''

पटना उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायमूर्ति ने एक कहानी के अंश पर बहुत हद तक भरोसा किया है–

अपीलीय अधिकार क्षेत्र का आवश्यक मानदंड यह है कि यह पहले से स्थापित किसी मामले में कार्यवाही को संशोधित और सही करता है और उस मामले को बनाता नहीं है। न्यायिक न्यायाधिकरणों के संदर्भ में अपीलीय अधिकार क्षेत्र इसलिए अनिवार्य रूप से यह दर्शाता है कि विषय वस्तु पहले से ही किसी अन्य न्यायालय द्वारा स्थापित और कार्यान्वित की जा चुकी है। जिसके निर्णय या कार्यवाही को संशोधित किया जाना है।

इस मामले के प्रयोजन के लिए, यह निर्णय करना आवश्यक नहीं है कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार के समान है या नहीं, लेकिन यह कहना पर्याप्त है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत, उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर कार्यरत सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर न्यायिक नियंत्रण रखता है।''

18– उमाजी केशव मेश्राम एवं अन्य बनाम राधिकाबाई (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 100 और 102 में निम्नलिखित निष्कर्ष दिए

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हैं—

''100. अनुच्छेद 226 के तहत किसी व्यक्ति, प्राधिकरण या राज्य को आदेश, निर्देश या रिट जारी की जाती है। उस अनुच्छेद के तहत कार्यवाही में वह व्यक्ति, प्राधिकरण या राज्य जिसके खिलाफ निर्देश, आदेश या रिट मांगी जाती है, एक आवश्यक पक्ष है। हालांकि, अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण का आदेश या निर्णय आता है, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि ऐसा निर्णय या आदेश देते समय उस अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण ने अपने अधिकार के भीतर और विधि के अनुसार काम किया है या नहीं।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

''102. यह विधि में भी समान रूप से स्थापित है कि अनुच्छेद 227 के तहत कार्यवाही एक मूल कार्यवाही नहीं है। इस संबंध में, हमें इस न्यायालय के केवल दो निर्णयों का संदर्भ देने की आवश्यकता है। अहमदाबाद मैन्युफैक्चरिंग एंड केलिको प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय ने कहा (पृष्ठ 193—4 पर) (1973 (1) एससीआर 185, एआईआर 1972 एससी 1598 के पृष्ठ 1603 पर)

''संविधान का अनुच्छेद 227 निःसंदेह उच्च न्यायालय को सामान्य अपील न्यायालय के समान शक्ति प्रदान नहीं करता है। इस अनुच्छेद का मुख्य भाग भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 107 के प्रावधानों को पर्याप्त रूप से पुनरुत्पादित करता है, सिवाय इसके कि

अधीक्षण की शक्ति इस अनुच्छेद द्वारा न्यायाधिकरणों तक भी बढ़ा दी गई है। न्यायिक राय की प्रबलता के अनुसार धारा 107 ने उच्च न्यायालयों को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाले अन्य कानूनों के प्रावधानों से अलग और स्वतंत्र रूप से न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्रदान की है। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का उपयोग संयम से और केवल उचित मामलों में, अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार की सीमाओं के भीतर रखने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, न कि केवल त्रुटियों को सुधारने के लिए, (देखें नारायण सिंह बनाम अमर नाथ, 1954, एस.सी.आर. 565 एवं एआईआर 1954 एससी 215)। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस संबंध में यह इंगित किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय किसी अपील या पुनरीक्षण पर सुनवाई नहीं करता है। वह न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा तय या उसके समक्ष लंबित मामले का रिकॉर्ड अपने सामने लाने के बाद हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित होता है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19— सुशीला बाई लक्ष्मीनारायण मुदलियार (उपर्युक्त वर्णित) में उमाजी केशव मेश्राम के फैसले का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जहां तथ्य उचित ठहराते हैं, वहां कोई पक्ष भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका दायर कर सकता है और जब न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत

उस याचिका पर फैसला करता है, तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत सहायक निर्देश जारी कर सकता है।

20— मनोज कुमार बनाम राजस्व मंडल एवं अन्य (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने विस्तृत विचार किया तथा पैराग्राफ 34 एवं 37 में निम्नलिखित निष्कर्ष दिए—

> ''34. इस मोड़ पर हम यह कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 में ''अधीक्षण'' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट है कि अनुच्छेद 227 में ''रिट'' शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 227 की जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि उच्च न्यायालयों को दी गई अधीक्षण की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो उन न्यायालयों और न्यायाधिकरणों तक सीमित है जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इसके विपरीत अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को दी गई शक्ति न्यायालयों और न्यायाधिकरणों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण तक विस्तारित है। ध्यान दें, संविधान में जिस तरह अनुच्छेद 226 को शामिल किया गया है, वह पूरी तरह से एक नए क्षेत्र को आच्छादित करता है, जो एक बड़े दायरें में एक व्यापक क्षेत्र है।''
>
> ''37. कानून के उपर्युक्त उद्घोषणा से यह स्पष्ट है कि दो शक्तियाँ अलग—अलग हैं और इसीलिए माननीय न्यायाधीशों ने एक भाग के लिए अनुच्छेद 226 का सहारा लिया और दूसरे भाग के लिए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

संविधान के अनुच्छेद 227 का आह्वान किया। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उनके तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति सभी मामलों में समान है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार–बार यह विचार व्यक्त किया है कि अनुच्छेद 226 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति को पर्यवेक्षी शक्ति के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए, न कि अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में प्रयोग की जाने वाली शक्ति के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय का सुसंगत दृष्टिकोण यह है कि अनुच्छेद 226 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति मूल क्षेत्राधिकार के प्रयोग में है, न कि ''पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार'' के तहत।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विस्तार से, ऐसे समझ सकते है कि जब भी अनुच्छेद 226 के संदर्भ में ''पर्यवेक्षी'' शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो यह अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के विपरीत है। जब न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है, तो यह मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में किया जाता है और इसके मापदंड भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 से भिन्न होते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति भारत सरकार अधिनियम के तहत एक अलग तरीके से मौजूद थी। अधीक्षण की शक्ति पुनरीक्षण या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार की शक्ति के प्रयोग से अलग है जो अधीक्षण शक्ति का एक पहलू है। भ्रम तब होता है जब

कोई व्यक्ति समानता के सिद्धांत को लागू करता है या पर्यवेक्षी शक्ति और अधीक्षण की शक्ति के प्रयोग को मूल या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के बराबर मानता है। क्षेत्राधिकार की अवधारणा और कुछ मापदंडों द्वारा शक्ति के प्रयोग के बीच एक स्वीकार्य अंतर है। दोनों ''न्यायिक समीक्षा'' की मूल अवधारणा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्राधिकार अलग–अलग है। अच्युतानंद बैद्य बनाम प्रफुल्ल कुमार गायेन एआईआर 1997 एससी 2077 के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की शक्ति में न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी शामिल है। हमारी सुविचारित राय में जब अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी की जाती है तो यह मूल अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में जारी की जाती है, चाहे वह ट्रिब्यूनल या निचली अदालतों या प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ हो।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21— अशोक कुमार झा बनाम गार्डन सिल्क मिल्स (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उमाजी केशव मेश्राम, सुशीला बाई लक्ष्मीनारायण मुदलियार (उपर्युक्त वर्णित) के निर्णयों पर चर्चा की है और यह दोहराया है कि जहां तथ्य किसी पक्ष को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत आवेदन दायर करने का औचित्य देते हैं और पक्षकार न्याय की निष्पक्षता में और उसे अपील के मूल्यवान अधिकार से वंचित नहीं करने के लिए इन दोनों लेखों के तहत अपना आवेदन दायर करना चुनता है, तो न्यायालय को इस प्रकार दायर आवेदन को

अनुच्छेद 226 के तहत किया गया मानना चाहिए और यदि मामले में निर्णय करते समय, अंतिम आदेश में न्यायालय सहायक निर्देश देता है जो अनुच्छेद 227 से संबंधित हो सकते हैं।

22– राधेश्याम एवं अन्य (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने टी.सी. बसप्पा बनाम टी. नागप्पा (एआईआर 1954 एससी 440 में रिपोर्ट) के मामले के फैसले को दोहराया है। फैसले का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है–

"7. उत्प्रेषण रिट जारी करने के संबंध में मौलिक सिद्धांतों में से एक यह है कि रिट का उपयोग केवल न्यायिक कृत्यों की वैधता को हटाने या उस पर निर्णय लेने के लिए किया जा सकता है। "न्यायिक कृत्यों" की अभिव्यक्ति में प्रशासनिक निकायों या अन्य प्राधिकारियों या ऐसे कार्यों का प्रयोग करने के लिए बाध्य व्यक्तियों द्वारा अर्ध–न्यायिक कार्यों का प्रयोग शामिल है और इसका प्रयोग विशुद्ध रूप से मंत्रिस्तरीय कृत्यों के विपरीत किया जाता है। विद्वान न्यायमूर्ति एटकिन, ने इस बिंदु पर विधि के सारांश, आर. बनाम इलेक्ट्रिसिटी कमिश्नर्स (केबी, पृष्ठ 205) में इस प्रकार दिया है 'जब भी कोई व्यक्ति जिनके पास प्रजा के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों को निर्धारित करने का कानूनी प्राधिकार होता है और जिनका न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य होता है, अपने कानूनी प्राधिकार से अधिक कार्य करते हैं, तो वे इन रिटों में प्रयोग किए गए किंग्स बेंच डिवीजन के नियंत्रण क्षेत्राधिकार के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधीन होते हैं।''

23– सूर्य देव राय बनाम राम चंद्र राय (2003) (6) एससीसी 675 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ – 32 में कहा है कि–

''32. सिद्धांत जो कि सुस्थापित हैं, उन्हें हाल ही में राज्य, विशेष सेल, नई दिल्ली बनाम नवजोत संधू, एससीसी पृ. 656–57, पैरा–28 के मामले में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अच्छी तरह से सारांशित और स्पष्ट किया गया है। इस न्यायालय ने कहा–

'(i) अनुच्छेद 227 के तहत अधिकारिता को राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा सीमित या बाधित नहीं किया जा सकता है,

(ii) पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार व्यापक है और इसका उपयोग न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, यहां तक कि मध्यवर्ती आदेश में भी हस्तक्षेप करने के लिए किया जा सकता है,

(iii) इस शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए, केवल अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार की सीमाओं के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए कि वे कानून का पालन करें। यह शक्ति केवल त्रुटियों (चाहे तथ्यों या कानूनों पर) को ठीक करने के लिए प्रयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं है और इसे ''छिपी हुई अपील की आड़ में'' भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है।'

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24— सूर्य देव राय बनाम राम चंद्र राय (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा—38 में आगे कहा है कि पैरा—38 से प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं—

"38. (4) संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग अधीनस्थ न्यायालयों को उनके क्षेत्राधिकार की सीमाओं के भीतर रखने के लिए किया जाता है। जब अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा क्षेत्राधिकार ग्रहण कर लिया है, जो उसके पास नहीं है या ऐसा क्षेत्राधिकार प्रयोग करने में विफल रहा है, जो उसके पास है या जो क्षेत्राधिकार उपलब्ध है, उसका प्रयोग न्यायालय द्वारा ऐसे तरीके से किया जा रहा है, जो कानून द्वारा अनुमत नहीं है और इसके कारण न्याय की विफलता या गंभीर अन्याय हुआ है, तो उच्च न्यायालय अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कदम उठा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) चाहे वह उत्प्रेषण रिट हो या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग, तथ्यों या कानून की मात्र त्रुटियों को सुधारने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं है, जब तक कि निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी न हो जाएं—

(i) त्रुटि कार्यवाही के दौरान स्पष्ट और प्रत्यक्ष है, जैसे कि जब यह स्पष्ट अज्ञानता या कानून के प्रावधानों की पूर्ण अवहेलना पर आधारित है, और

(ii) इसके कारण गंभीर अन्याय या न्याय की घोर विफलता हुई है।

(6) xxxxxxxxxxxxxx

(7) xxxxxxxxxxxxxx

(8) xxxxxxxxxxxxxx

(9) व्यवहार में, उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने और पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए मानदंड लगभग समान हैं और अंग्रेजी अदालतों के विपरीत भारत में उच्च न्यायालयों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकार क्षेत्र की चौड़ाई ने दोनों अधिकार क्षेत्रों के बीच के अंतर को लगभग मिटा दिया है। उत्प्रेषण रिट जारी करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य, आदेश या कार्यवाही को रद्द या अलग कर सकता है, लेकिन इसके स्थान पर अपना निर्णय नहीं दे सकता है।

पर्यवेक्षी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय न केवल अधीनस्थ न्यायालय को यह बताने के लिए उपयुक्त निर्देश दे सकता है कि वह उसके बाद किस प्रकार कार्य करेगा या आगे बढ़ेगा, बल्कि उच्च न्यायालय समुचित मामलों में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अधिक्रमित या प्रतिस्थापित करने के लिए स्वयं आदेश दे सकता है, जैसा कि न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देना चाहिए था।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सूर्यदेवी राय (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में यह दृष्टिकोण है कि सिविल कोर्ट के आदेश के विरूद्ध उत्प्रेषण रिट स्वीकार है, पर राधेश्याम एवं अन्य बनाम छविनाथ एवं अन्य (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने संदेह व्यक्त किया है।

25– डॉ. भगवत सिंह बनाम पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय एवं अन्य, 2013 .... सी.जी.एल.जे 171 डी.बी. के मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ ने पैरा क्रमांक 27, 28 एवं 29 में निम्नलिखित निर्देश दिये गये है कि–

"27. दुर्गा दास बसु के लघु भारतीय संविधान के 14वें संस्करण (पृष्ठ 864–865) में, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई प्राधिकरण न्यायाधिकरण है या नहीं, बुनियादी परीक्षणों को सही ढंग से निम्नानुसार संक्षेप में समझाया गया है–

(क) यह कि न्याय निर्णय की शक्ति संबंधित प्राधिकारी को कानून द्वारा प्रदान की गई है।

(ख) यह कि ऐसी न्याय निर्णय शक्ति राज्य की अंतर्निहित शक्ति का एक भाग है जिसका प्रयोग वह अपने न्यायिक कार्य के निर्वहन में करता है।

(ग) यदि कोई हो और प्राधिकारी का निर्णय बाध्यकारी तथा अंतिम है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

28. वर्तमान मामले में, कुलाधिपति को विधि द्वारा न्यायनिर्णयन की शक्ति प्रदान की गई है, वह अधिनियम की धारा 12(4) के तहत न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है जैसा कि पहले बिंदु के तहत माना गया है, पक्षों के बीच विवाद है, और उसका निर्णय अंतिम है। इस प्रकार, सभी तीन मापदंड पूरी तरह से संतुष्ट हैं।

29. यह तथ्य कि कुलाधिपति, अधिनियम की धारा 12(4) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, संविधान के अनुच्छेद 227 के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के तहत एक न्यायाधिकरण है। इसे मनमोहन सिंह जैतला बनाम आयुक्त, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और अन्य एआईआर 1985 एससी 364 (जैतला मामला) में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी पारित निर्णय से स्पष्ट कर दिया है।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26– मनमोहन सिंह जैतला बनाम आयुक्त संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ एवं अन्य एआईआर 1985 – एससी 364 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ कमांक 7 में निष्कर्ष दिया है कि–

''7. उच्च न्यायालय ने इस आधार पर कोई अनुतोष देने से इंकार कर दिया कि सहायता प्राप्त स्कूल संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत ''अन्य प्राधिकारी'' नहीं है और इसलिए उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से इस बिंदु को नजरअंदाज कर दिया कि उपायुक्त और आयुक्त 969, अधिनियम के

तहत काम करने वाले वैधानिक प्राधिकारी हैं। वे अर्ध—न्यायिक प्राधिकारी हैं और इस पर कोई विवाद नहीं था। इसलिए, इन्हें संविधान के अनुच्छेद 227 में प्रयुक्त "अधिकरण" के रूप में समझा जाएगा, जो उच्च न्यायालय को उस सम्पूर्ण क्षेत्र में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है, जिसके संबंध में वह अधिकारिता का प्रयोग करता है। इसलिए, स्पष्ट रूप से, वैधानिक अर्द्ध—न्यायिक प्राधिकारियों का निर्णय, जिन्हें उचित रूप से न्यायाधिकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, अर्थात् संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाएगी। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत निर्णय उपायुक्त और आयुक्त द्वारा 1969 अधिनियम की धारा 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का था। और ये वैधानिक प्राधिकरण निश्चित रूप से उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के अधीन हैं।"

27— मणि नरीमन दारूवाला उर्फ भरूचा और खिमजी विधु (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में प्रतिवादियों का भरोसा इस बिंदु पर नहीं है कि राजस्व बोर्ड को न्यायालय की परिभाषा से बाहर रखा गया है, इसलिए, इन मामलों में निर्धारित अनुपात का निर्धारण के लिए यहां मौजूद प्रश्न पर कोई प्रयोज्यता नहीं है।

28— प्रतिवादियों का भरोसा मणि नरीमन दारूवाला उर्फ भरूचा (मृतक) के माध्यम से विधिक प्रतिनिधि और अन्य (उपर्युक्त वर्णित), खिमजी विधु (उपर्युक्त

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

वर्णित) के मामले पर इस बिंदु पर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की सीमा क्या होगी।

29— डॉ. राम शरण लाल त्रिपाठी (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के आदेश की बारीकी से जांच करने पर, यह पाया गया कि राजस्व बोर्ड एक सिविल न्यायालय नहीं है, बल्कि संहिता, 1959 के तहत एक राजस्व प्राधिकरण है, जो एक स्थापित तथ्य है। विद्वान समन्वय पीठ ने आगे कोई टिप्पणी नहीं की है कि राजस्व बोर्ड एक न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक निकाय नहीं है और इस प्रकार बोर्ड को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30— डांगलिया एवं अन्य (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ का मत है कि संहिता, 1959 के प्रावधान राजस्व अधिकारी को पूर्ण विकसित एवं सक्षम न्यायालय बनाते हैं, जिनके समक्ष कार्यवाही में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान लागू होते है। एस.के. सरकार (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसी प्रकार का मत व्यक्त किया है और इस प्रकार व्यक्त किया गया दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार है। ठाकुर जुगल किशोर सिन्हा (उपर्युक्त वर्णित), उमाजी केशव मेश्राम (उपर्युक्त वर्णित) और सुशीला बाई लक्ष्मीनारायण मुदलियार (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का भी यही दृष्टिकोण

था। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि पक्षकारों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत आवेदन दायर करने का विकल्प है, जब उन्हें लगता है कि ऐसी याचिका दायर करने के लिए तथ्य उचित हैं। इसलिए, पक्षकारों के पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या 227 के तहत याचिका दायर करने का विकल्प है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र केवल पर्यवेक्षी है। न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अपनी सीमाएं और प्रतिबंध हैं, जैसा कि मणि नरीमन दारूवाला उर्फ भरूचा मृत द्वारा विधिक वारिसान (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में साथ ही सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई अन्य निर्णयों में कहा गया है। इसलिए, इस आधार पर, यह पक्षकारों पर निर्भर है कि वे किस संवैधानिक प्रावधान के तहत अनुतोष अनुदान से लाभान्वित होंगे। डॉ. राम शरण लाल त्रिपाठी के मामले में विद्वान समन्वय पीठ का निष्कर्ष उस मामले में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर व्यक्त की गई सही राय है, कि उस मामले में मौजूद तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वारा उत्प्रेषण रिट की मांग करना उचित था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

31– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रयोग किए जा सकने वाले अधिकार क्षेत्र और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत प्रयोग किए जा सकने वाले अधिकार क्षेत्र के बीच स्पष्ट अंतर है। डॉ. रामशरण लाल त्रिपाठी (उपर्युक्त वर्णित) के मामले में याचिकाकर्ता ने उत्प्रेषण रिट की मांग करते हुए याचिका दायर की थी और उत्प्रेषण रिट एक सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ जारी नहीं

की जा सकती है और इसलिए, इस कारण से, समन्वय पीठ द्वारा यह माना गया कि राजस्व बोर्ड एक सिविल कोर्ट नहीं है। ऐसा कोई अवलोकन नहीं है कि राजस्व बोर्ड या राजस्व प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन नहीं होंगे। इसलिए उस मामले में निष्कर्ष भारतीय संविधान की धारा 227 के तहत राहत की मांग करने वाले राजस्व बोर्ड के आदेश के खिलाफ याचिका दायर करने पर रोक के रूप में कार्य नहीं करता है।

32– वर्तमान मामले में विवादित तथ्य अलग है। इन सभी मामलों में याचिकाकर्ता इस न्यायालय से पर्यवेक्षणीय अधिकारिता का प्रयोग करने की अनुमति चाहते हैं। राजस्व बोर्ड न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत आता है और इस प्रकार बोर्ड द्वारा पारित कोई भी आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पर्यवेक्षण के अधीन है और उच्च न्यायालय के अधिकारिता का ऐसा प्रयोग उन प्रतिबंधों और सीमाओं के भीतर होगा, जिनका उल्लेख पहले ही ऊपर किया जा चुका है, कि शक्तियों का ऐसा प्रयोग संयम से किया जा सकता है और अधिकारिता की त्रुटियों को ठीक करने और इसी तरह के अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय के तथ्यों के शुद्ध निष्कर्षों को उलटने के लिए नहीं। तथ्यों के ऐसे निष्कर्ष में केवल अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ही हस्तक्षेप किया जा सकता है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय अपीलीय प्राधिकारी नहीं है।

33– प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, जिसके बारे में

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आपत्ति उठाई गई है, इस स्तर पर विचारणीयता के मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह फिर से स्पष्ट किया जाता है कि यह पक्षकारों पर निर्भर है कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुतोष पाने के लिए संविधान के प्रावधान का चयन करें और यह पक्षकारों के स्वयं के जोखिम पर होगा।

34– हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एआईआर 2016 सीजी 03 के मामले में, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने पैरा–19 में निर्णित निष्कर्ष दिया है, जो इस प्रकार है–

> "19. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों के सर्वेक्षण से रिट अपील की स्वीकार्यता के संबंध में कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है, जिसमें कहा गया है कि जहां मामले के तथ्य संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका दायर करने को उचित ठहराते हैं और जहां याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकारिता का आह्वान करते हुए राहत मांगी है, वहां रिट अपील का उपाय उपलब्ध होगा। यह भी माना गया है कि कोई भी परिपूर्ण तरीका निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि याचिका में मांगे गए अनुतोष की प्रकृति क्या है और यह रिट याचिका का निपटारा करने वाले एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर भी निर्भर करेगा। इन सभी मामलों में, रिट अपील की स्थिरता के संबंध में मुद्दा इस तथ्यात्मक आधार पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचार के लिए उठा कि एकल न्यायाधीश का आदेश अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न याचिका में पारित किया गया था। इस प्रकार यह विशुद्ध रूप से स्पष्ट है कि ऐसे मामले में भी जहां एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिका अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न होती है, मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में और ऊपर उद्धृत निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों और परीक्षणों को लागू करते हुए, रिट अपील को स्थिरता के योग्य माना जा सकता है। इसलिए, यह कहना कि ऐसे मामलों में जहां आदेश अधीनस्थ न्यायालय, न्यायाधिकरण या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाते हैं, यह हमेशा और अनिवार्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के प्रयोग का मामला होगा, चाहे मांगे गए अनुतोष की प्रकृति कुछ भी हो और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पूर्वोक्त बाध्यकारी निर्णयों में निर्धारित न्यायिक रूप से विकसित सिद्धांतों का खंडन होगा।''

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

35– उसी निर्णय में पुनः यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब कोई तथ्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत आवेदन दायर करने को उचित ठहराते हैं, या पक्षकार निष्पक्षता में दोनों अनुच्छेदों के तहत आवेदन दायर करना चुनते हैं।

36— डॉ. राम शरण लाल त्रिपाठी के मामले में, समन्वय पीठ ने रजिस्ट्री द्वारा बताई गई चूक को खारिज कर दिया है, कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका, विचारणीय नहीं है और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर किया जाना चाहिए था। न्यायालय का यह निर्णय, चूक के बारे में, उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया गया था। यह फिर से दोहराया जाता है कि सभी मामलों के तथ्य और परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हो सकतीं और इसके अलावा, पक्षकारों के पास यह विकल्प है कि वे संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के तहत अनुतोष प्राप्त के लिए आगे बढ़ें। इस प्रकार डॉ. राम शरण लाल त्रिपाठी मामले में दिया गया निर्णय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका पर विचार करने पर रोक नहीं लगाता।

37— अतः उपर किए गए विस्तृत विश्लेषण और सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के स्थापित दृष्टिकोण, जिसकी उपर चर्चा की गई है तथा इस आदेश में की गई अन्य टिप्पणियों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरूद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर वर्तमान याचिकाएं स्वीकार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/—
(राजेन्द्र चन्द्र सिंह सामंत)
न्यायाधीश